न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 195/2017 जी.सी.एम.एस संख्या 2017/00136

1. हनुमान सहाय पुत्र रामनाथ, जाति खाती, निवासी ग्राम विराजपुरा, पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

बनाम

–अपीलार्थी

1. मदनलाल पुत्र रामस्वरूप, जाति खाती, निवासी ग्राम विराजपुरा, पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

–असल रेस्पोडेन्ट

2. बनवारीलाल पुत्र रामस्वरूप
3. कौशल्या देवी पत्नी रामस्वरूप समस्त जाति खाती, निवासीगण ग्राम विराजपुरा, पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
4. सीताराम पुत्र रेवड (मृतक दौराने अपील)
   4/1शान्ति देवी पत्नी सीताराम
   4/2. भागचन्द पुत्र सीताराम
   4/3 अनिल पुत्र सीताराम समस्त जाति खाती, निवासीगण जांगिड फार्म हाउस, नईनाथ रोड, रामपुरा वास, पोस्ट दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
   4/4 सुनीता पत्नी सुरेश चन्द जांगिड पुत्री सीताराम, जाति खाती, निवासी सारण तिजारा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
5. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. रामसुख पुत्र गणेश समस्त जाति खाती, निवासीगण ग्राम विराजपुरा, पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
7. ग्राम पंचायत टोडाभाटा जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बस्सी निर्णय दिनांक 01.07.2016 पत्रावली कमांक 16/2013 उनवानी मदनलाल बनाम बनवारी

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री राजेश रूहेला वकील रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–26.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.07.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

माननीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.97 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.97 को निरस्त कर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह रामनाथद्वारा की गई वसीयत की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 01.07.2016 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 01.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमान सहाय पुत्र रामनाथ द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कि ग्राम विराजपुरा, तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 160, 161, 162 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा के रिकोर्डेड खातेदार रामनाथ पुत्र लादू हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र रेवड हिस्सा 1/3 तथा लक्ष्मीनारायण, रामसुख पुत्रान गणेश 1/3 है । लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है, भगवान सहाय रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का पुत्र है । इस प्रकरण में रामनाथ पुत्र लादू की भूमि का ही विवाद है। रामनाथ की मृत्यु दिनांक 14.08.1997 को हो गई । उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.1997 को उनके सभी उत्तराधिकारियों उनके पुत्र, पत्नि तथा पौत्रों के नाम उनकी उपस्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि पर उनके सभी वारिसान उपयोग उपभोग कर रहे हैं। खसरा नम्बर 162 में अपीलार्थी का पक्का मकान अरसे से बना हुआ है, बिजली लगी है। कालान्तर में उनकी पत्नि श्रीमती धापादेवी की भी मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 03.09.1998 को ग्राम पंचायत टोडाभाटा द्वारा सभी वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के नाम के उनकी उपस्थिति एवं सहमति से खोला गया ।नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10. 1997 के विरूद्ध मदनलाल रेस्पोडेन्ट संख्या ने अपील उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष दिनांक 24.04.2013 को लगभग 17 वर्ष 6 माह की अवधि बाद इस आशय के साथ पेश करी कि "स्व. रामनाथ ने अपीलार्थी मदनलाल के पक्ष में दिनांक 23.03.1995 को एक रजिस्टर्ड वसीयत लिखकर अपनी सम्पत्ति का मालिक रेस्पोडेन्ट मदनलाल को बना दिया।

अपीलांट ने कथन किया कि मदनलाल को नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी। चुंकि नामान्तरकरण संख्या 164 उसकी उपस्थिति व सहमति से सभी वारिसान के नाम खोला गया है । मदनलाल सहकारी समिति बस्सी का स्थाई सदस्य रहा है व समय–समय पर सहकारी समिति से ऋण व फसल खराबा मुआवजा भी लेता रहा है, इस प्रकार मदनलाल को नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.1997 एवं राजस्व रिकॉर्ड की पूर्ण जानकारी थी ।उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेन्ट मदन लाल द्वारा न तो मूल वसीयत प्रस्तुत की गई है और ना ही वसीयत का निष्पादन प्रमाणित किया गया है। फर्जी वसीयत के आधार पर बिना निष्पादन साबित कराये रेस्पोडेन्ट मदनलाल का हित मानकर निर्णय करने में उन्होंने विधि के प्रावधानों की अवहेलना की है।रेस्पोडेन्ट मदनलाल ने कभी भी तथाकथित वसीयत का ना तो जिक्र किया और ना ही रामनाथ की विरासत का नामान्तरकरण जैर अपील की तस्दीक के समय और उसके बाद मु. धापा की विरासत के नामान्तरकरण के तस्दीक के समय प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 तस्दीक करते समयमदनलाल द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 23.03.1995 का कोई खुलासा नही किया गया। इसके बाद रामनाथ की पत्नी धापू की मृत्यु होने के बाद उसकी विरासत का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 03.09.1998 तस्दीक हुआ तब भी ग्राम पंचायत के समक्ष मदन लाल ने तथाकथित वसीयतनामे का कोई जिक्र नही किया। तथाकथित वसीयत मदनलाल द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से बनाई गई है।यहां तक की मूल वसीयत को भी प्रस्तुत नहीं किया।ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना तथाकथित वसीयत की जॉच किये नामा0 निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी निरस्त किया जावे।

6. रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया किअपील में स्व. रामनाथ जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के दादा लगते है ने दिनांक 15.02.1947 को उक्त विवादित भूमि क्रय की थी जो स्व. रामनाथ की क्रयशुदा स्वअर्जित भूमि थी। अपीलार्थी को रामनाथ ने पढा लिखाकर नौकरी लगवायी तथा नौकरी लगते ही अपीलार्थी रामनाथ से पृथक हो गया जिसके पश्चात रामनाथ व उनकी पत्नी अपने पौत्र प्रत्यर्थी मदनलाल के पास रहे तथा प्रत्यर्थी ने आजीवन तन मन धन से स्व. रामनाथ की सेवा सुश्रा की व उनकी प्रत्येक अभिलाषा पूर्ण की रामनाथ ने प्रत्यर्थी की निस्वार्थ सेवाओ से खुश होकर आराजी जैरह अपील सहित अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत प्रत्यर्थी मदनलाल के हक मे तहरीर व तकमील कर उप पंजीयक कार्यालय बस्सी मे रूव रूह गवाहन दिनांक 23.03.1995 को पंजीकृत करवाकर अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वारिस बना दिया। स्व. रामनाथ जी का देहान्त के पश्चात प्रत्यर्थी मदनलाल जो रामनाथ की 1/3 हिस्से की भूमि का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी था ने विरासत का नामान्तरण अपने हक मे खुलवाने हेतु तत्कालीन पटवारी को वसीयत की प्रति दी तथा हल्का पटवारी ने प्रत्यर्थी मदनलाल के हक मे नामान्तरण खोलने का आश्वासन दिया परन्तु अपीलार्थी राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रामनाथ जी की विरासत का नामान्तरण अपने व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम बिना जानकारी के तस्दीक कर दिया जबकि रामनाथ के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी पर प्रत्यर्थी मदनलाल बहैसियत मालिक व खातेदार काबिज चला आ रहा है । ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.10.1997 को जो नामान्तरण संख्या 164 तस्दीक किया गया वह मिन प्रत्यर्थी मदनलाल को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा वैध वारिसो की जॉच किये बिना ही पारित किया गया था जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्व था । कानूनन खातेदार द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से कयशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है चुकि स्व. रामनाथ द्वारा विवादित भूमि अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की थी इस कारण स्व. रामनाथ को अपनी उक्त कृषि भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग करने व रहन, हस्तान्तरण, वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था तथा यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रत्यर्थी मदनलाल के हक मे निष्पादित वसीयत दिनांक 23.03.1995 को किसी भी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किया है तथा उक्त वसीयत की जानकारी उक्त अपील में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 को प्रारम्भ से ही रही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2016 की पालना मे जो नामान्तरण संख्या 164 दिनांक 10.10.1997 को खारिज किया है वह पूर्णतया विधि पूर्ण है चुकि उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किया है कि " प्रकरण तहसीदार बस्सी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि व रामनाथ द्वारा की गयी वसीयत की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करे जिससे साबित है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 पूर्णतया विधि पूर्ण है जो कतई भी खारिज किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही नामान्तरकरण निरस्त कर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को नकल दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश

माननीय आयुक्त
जयपुर

करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत को लेकर है।रामनाथ की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत टोडाभाटा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.97 जिसकी अपील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 18 वर्षबाद नामान्तकरण संख्या 164 को निरस्त कर रामनाथ द्वारा की गई वसीयत की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि ग्राम पंचायत टोडाभाटा द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् विधिवत् ही मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 164 बराबर हिस्सा जायज वारिसान् बडे भाई के दोनों पुत्रों मदनलाल, बनवारीलाल व उसकी पत्नि कौशल्या देवी के नाम 1/3 तथा अपीलांट हनुमान के नाम 1/3 व उसकी पत्नि धापू देवी के नाम 1/3 तस्दीक किया गया है। मदनलाल का कथन है कि मृतक खातेदार रामनाथ की वसीयत दिनांक 23.03.1995 के अनुसार वह खातेदार रामनाथ का अकेला वारिस है। जबकि नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त वसीयत के आधार पर अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे में उक्त वसीयत को आधार मानकर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण को लगभग 18 वर्षबाद निरस्त कर वसीयत की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाता जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 10.10.97 बहाल किया जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर